विश्वास है कि उपाध्यक्ष के साथ भी जो उनकी बातचीत होगी वह संतोषप्रद होगी और वह उनका समाधान करेगी। अगर समाधान नहीं निकलेगा तो माननीय सदस्य मेरे संज्ञान में बात ला सकते हैं और हम संज्ञान में लाने के लिए हर संभव जनतांत्रिक उपाय का अवलम्बन करेंगे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों की ओर से बीच-बीच में अनेक मांगे यहां आती रही हैं और हम लोग विचार भी करते रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि यह प्रश्न आज भी सत्ता पक्ष की ओर से आया है। जब आप विपक्ष में थे तो हमेशा इन मांगों का पुरजोर समर्थन किया करते थे। अब जब आप स्वयं सत्ता में हैं तो क्या इन सब मांगों को जल्दी से जल्दी मान लेंगे, खास करके नवीं मांग को जो आवास की समस्या से संबंधित है? मैं व्यक्तिगत स्तर पर जानती हूं कि इस देश में बहुत सारे केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक आज भी स्टाफ क्वार्टर न पाने की स्थिति में शहरों में जो केन्द्रीय विद्यालय हैं उनके काफी दूर रहते हैं और उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आपने यहां लिखा है 9 नम्बर में–The demand is genuine. The formal approval is under process. यह कब तक अंडर प्रोसेस रहेगा और कब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जो शिक्षक हैं उनके लिए यह हाउस फार आल की जो पालिसी है वह जल्दी से जल्दी लागू होगी?

डा० मुरली मनोहर जोशी: देखिए, इनकी मांग थी– allotment of staff quarters as per the Central Government rules and as per the basic pay. हमने कहा है कि यह मांग बिल्कुल उचित है, जायज है और इसके लिए एप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है। जैसे मैंने पहले भी इस सदन से निवेदन किया कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर के पद पर जो रिक्ति है, वह जैसे ही नियुक्त होंगे उसके पश्चात् इन सब चीजों पर और गंभीरतापूर्वक तथा त्वरित गति से विचार किया जाएगा। मैं आश्वासन दिलाता हूं जब हमने इस पर लिखा ही है कि यह मांग जेनुइन है, मांग जायज है तो इसके ऊपर हम कदम भी उठाएंगे।

*45. *[The questioner (Shri Rahas Bihari Barik) was absent. For answer, vide Col. 32 infra.]*

गुजरात में पुलिस बल की तैनाती

*46. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को 1979 के बाद रेल सेवाओं में राज्य पुलिस बल तैनात करने के लिए गुजरात सरकार को भारी धनराशि अदा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार को इस धनराशि का भुगतान करने में अत्यधिक विलंब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकार को उक्त बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। 1.4.1998 को बकाया राशि केवल 1.84 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) 1.4.1997 को गुजरात सरकार की बकाया राशि 11.12 करोड़ रुपए थी। राज्य सरकार के साथ बातचीत करके वर्ष 1997-98 में 9.28 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। 1.84 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं किया जा सका था क्योंकि गुजरात राज्य सरकार ने अभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ बिल नहीं भेजे हैं। ब्यौरा इस प्रकार है:

1986-87	0.49 करोड़ रुपये
1995-96	1.35 करोड़ रुपये
जोड़:	1.84 करोड़ रुपये

(घ) क्षेत्रीय रेलों को स्पष्ट रूप से अनुमेय सभी दावों का तत्काल भुगतान करने के स्थायी अनुदेश हैं।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, it has been admitted that there were outstanding amounts of Rs. 11.12 crores, out of which Rs. 9 crores were paid on 1st April, 1998. But, at the same time, I wold like to inform you that the State Government is deploying its police officers to maintain law and order in the railway regularly. There has not been any increase in the staff. There is no upgradation of police stations. The outstanding amounts or the other expenses which are borne by the State Government are not paid regularly. Therefore, there exists corruption. Sir, non-payment of salary and other expenses regularly, invites corruption. With a view to curb corruption in the Police Department, who are seen publicly every now and then, I would like to know whether the Government proposes to pay the outstanding amounts regularly to the State Government or to make any other provision in the Railway Budget.

श्री नीतीश कुमार: सर, इन ड्यूज़ का सेल्फी पेमेंट से कोई तालुक नहीं है क्योंकि जी.आर.पी. के सेल्फी का पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। वह स्टेट पुलिस है और कास्ट शेयरिंग 50-50 बेसिस पर होता है। स्टेट गवर्नमेंट 50 परसेंट देती है, रेलवेज़ 50 परसेंट पे करती है और रेलवेज़ रीइंबर्स करती है। स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए प्रोपर सर्टिफिकेट के साथ क्लेम रखती है और वह ए.जी. का सर्टिफिकेट होता है। प्रोपर बिल्ज़ देते हैं और ए.जी. का सर्टिफिकेट होता है। उसके हिसाब से वह पेमेंट किया जाता है जिसका कि मैंने उल्लेख किया है। अगर कोई पैंडिंग रहता है तो उसका कारण है सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है इसमें जो इसकी संख्या बढ़ाई जाती है जी.आर.पी. की जो संख्या होती है वह रेलवे की कंसेंट के साथ बढ़ाई जा सकती है। अगर राज्य सरकार ने अपनी इच्छा से संख्या बढ़ा दी और रेलवे का कंसेंट नहीं लिया तो उस हालत में पेमेंट में कुछ बाधा आती है। यही दो कारण हैं जिनके चलते बाधा आती है। वैसे बिल्कुल ही प्रॉप्ट पेमेंट करने का आदेश है और रेलवे के बजट में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, the hon. Minister has not answered the other question. The question is, whether the staff has been increased, whether the police stations have been upgraded. Of course, it is for the Railway to consider it in accordance with the increase in traffic and all that. Sir, there should be bilateral discussions between the State Government and the Central Government, whether to increase the staff or not. I would like to ask my supplementary in respect of part 'd' of the answer which states that the Zonal Railways have standing instructions to pay all clearly admissible claims of the State Government promptly. I would like to know from the hon. Minister, since 1986 what amount has been paid directly by the Divisional Offices to the State Government and what the outstanding dues are throughout the nation because it is directly connected to the whole country.

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, उन्होंने सवाल पूछा था गुजरात के एक खंड के बारे में। इन्होंने थाना के माडर्नाइजेशन की बात की और उसके संबंध में उसके सुधार की बात की, यह बिल्कुल ही राज्य का विषय है। जी॰आर॰पी॰ स्टेट पुलिस है। रेलवे आधा खर्च वहन करती है। कंपनी रेलवेज़ के जमाने से यह परंपरा चली आ रही है। इस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज की स्थिति है कि भारतीय रेलें 50 प्रतिशत इनका भुगतान करती हैं और थाना का रख-रखाव और थाना की स्थिति और जी.आर.पी. के लोगों का पेमेंट यह सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। यह परिस्थिति है। जहां तक आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ का सवाल है, आउटस्टैंड्रिंग ड्यूज़ पेमेंट करने के लिए जो जोनल रेलवे पर हमारे फाइनांशेल एडवाइज़र हैं उनको यह आवंटन जाता है और उसके हिसाब से वह आवंटन करते हैं। बिल्ज़ इनका आता है, ए.जी. का सर्टिफिकेट आता है, उसके हिसाब से पेमेंट तत्काल करते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन है। इन्होंने पूरे देश के बारे में पूछा है तो उस हिसाब से 1.4.98 तक की स्थिति है कि Outstanding dues pertaining to the Government, Railway Police, as on 1st April, 1998.

यह पूरा एमाउंट है 65 करोड़ का कुल मिला करके रेलवे वाइज़ अगर जानना चाहते हैं। तो सैन्ट्रल रेलवे का 29 करोड़ 36 लाख रुपया, नार्थ ईस्टन रेलवे का 7 करोड़ 12 रुपया, ईस्टर्न सदर्न रेलवे का 10 करोड़ 94 लाख रुपया, साउथ सैन्ट्रल रेलवे का 2 करोड़ 41 लाख रुपया, साउथ ईस्टर्न रेलवे का 4 करोड़ 83 लाख रुपया, वेस्टर्न रेलवे का 10 करोड़ 35 लाख रुपया और कुल मिला करके 65 करोड़ एक लाख रुपया।

प्रो॰ राम लखन सिंह यादव: मान्यवर, मैंने इस के पहले वाले प्रश्न पर अपना हाथ उठाया था कि मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिले।

श्री सभापति: वह तो हो गया। डा॰ जगन्नाथ मिश्र।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, हाल में रेलवे मंत्री जी ने पटना में वक्तव्य दिया है कि जी.आर.पी. की कार्य-प्रणाली से पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं और वह रेलवे में हो रहे अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि आर.पी.एफ को वह सारी शक्तियां देना चाहते हैं जो कि राज्य पुलिस को हुआ करती हैं। इस संबंध में सरकार की क्या नीति है? मान्यवर, जी.आर.पी. और आर.पी.एफ. दो संगठन हैं - एक रेलवे प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए और दूसरे विधि व्यवस्था और जान-माल की हिफाजत के लिए। तो यह जो द्वंद्व है, इस पर रेलवे मंत्री को चिंतन करना चाहिए और मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन की दृष्टि में इस का क्या उपाय है? राज्य सरकारें जी.आर.पी. के माध्यम से अपराध नियंत्रण में विफल हो रही हैं तो उसे पुलिस एक्ट में लेकर या नए कानून बनाकर जी.आर.पी. के फंक्शनिंग के लिए किस तरह से उसे सशक्त करना चाहते हैं?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिहार के मुख्य मंत्री भी रहे हैं और बिहार के संदर्भ में उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है, लेकिन जो बातें मैं ने कही थीं, उन को ठीक उसी प्रकार से यहां उन्होंने उद्धृत नहीं किया है। रेलों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चारों तरफ चिंता व्यक्त की जाती है और उस चिंता को मैं ने शेअर किया था और यह कहा था कि जिन राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है, उस का असर रेलों के परिचालन पर भी पड़ रहा है और रेलवे में जो स्थिति है, उस का आपराधिक घटनाओं से भी सीधा संबंध है। जहां तक आर.पी.एफ का सवाल है, मैंने यह साफ कहा था कि आर.पी.एफ रेलवे प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए है, लेकिन कानून व्यवस्था की जवाबदेही राज्य सरकार का विषय है। हम जी.आर.पी. के अधिकार को ले नहीं सकते, लेकिन स्टेटस पेपर में भी हम ने यह चिंता रखी है। मान्यवर, सुरक्षा का जैसे ही सवाल आता है, रेल में अगर कोई घटना घटती है तो लोग समझते हैं कि रेलवे इस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए और उस पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए। यह राज्य का विषय है और अगर राज्य अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन नहीं कर रहा है तो यह सब के सोचने का विषय है कि इस के लिए क्या उपाय किये जाएं। लेकिन मान्यवर यह सारे देश की स्थिति नहीं है। उन इलाकों के बारे में यह स्थिति लागू होती है जहां "आवर-आल" यानी आमतौर पर कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है या खराब है। उन जगहों पर यह ज्यादा होती है। इसलिए उन के संदर्भ में मैंने कहा कि इन दोनों स्थितियों के संदर्भ में रेल के बारे में लोगों को सोचना होगा। यह सब के बीच बहस का विषय है और बहस कर के ही कोई नतीजा निकल सकता है। यह किसी सरकार के सोच का सवाल नहीं है। मान्यवर, आज की जो स्थिति है, संविधान की जो स्थिति है, उस से हम अलग नहीं हट सकते हैं, लेकिन अगर बहस कर के इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो कोई फैसला लिया जा सकता है। यह संसद सर्वोपरि है और संसद को इस बारे में कोई निर्णय लेना होगा।

डा० जगन्नाथ मिश्र: मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब विधि-व्यवस्था राज्य का विषय है और आपने कहा है कि उस कानून में संशोधन लाकर आप आर.पी.एफ को अधिकृत करना चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आप उसे स्पष्ट करिए कि आप कैसे उस को अधिकृत करेंगे?

श्री नीतीश कुमार: अब सवाल यह है कि आप इस तरह की बात को किसी प्रश्न के उत्तर में ऐसे ही कोट किए जा रहे हैं। रेलवे एक्ट में अगर कोई संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी तो उस बारे में सब को सोचना चाहिए। मैंने सिर्फ सरकार के बारे में नहीं कहा, मैंने सभी के बारे में कहा। यह पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, नीति निर्धारित करने वालों को सोचना पड़ेगा, संसद को सोचना पड़ेगा। मैंने यह बात बहस के लिए सामने रखी है। यह हकीकत, इसलिए मैंने इसे रखा है। और कई मामलों में सेविधान का सवाल है। जो राज्य का विषय है, वह राज्य के ही जिम्मे रह सकता है। ये कुछ ऐसे मसले हैं और रेलों में अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है जोकि चिंता का विषय है। इस का समाधान कैसे किया जाए, इस बारे में सब को सोचना होगा और पूरी स्थिति जग-जाहिर है।

SHRI N.K.P. SALVE: The Minister cannot get away by saying that it is the responsibility of the State Government to take care of the security problems of the passengers on the railways, and if there is deterioration in the security of the railways, it is the State Governments who have to be blamed.

Mr. Minister, you used to put very specific questions when you were sitting on the Opposition side. Now, I am putting a very specific question. Is the arrangement satisfactory, according to you? Is the deteriorating security situation in the railways also on account of the fact that your own supervision and superintendence is negligible in that aspect of the matter? And if this arrangement of sharing with the State Government is not satisfactory, are you going to take appropriate steps, yes or no?

श्री नितीश कुमार : सभापति, माननीय सदस्य का जो पहला सवाल था कि आज की रेलवे के अंदर सुरक्षा की स्थिति के बारे में हमारी क्या राय है, आज की स्थिति असंतोषजनक है, इसको सेटिसफेक्टरी नहीं कहा जा सकता। सुधारने की गुंजाइश है और इसके लिए जहां तक कदम उठाने का सवाल है, चलती ट्रेनों में अपराध की रोकथाम के लिए जो जी०आर०पी० को उस ट्रेन में एस्कोर्ट करना है तो उस एस्कोर्ट पार्टी में आर०पी०एफ० के लोग भी जाते हैं, लेकिन नियंत्रण हमेशा जी०आर०पी० का रहेगा। जी०आर०पी० की संख्या में कमी होने की बात भी बिल्कुल सामने आती है। इस स्थिति में आर्मफोर्स होने के नाते आर०पी०एफ० के लोग उस टुकड़ी में शामिल होते हैं, लेकिन

हर हालत में नियंत्रण जी०आर०पी० का ही हो सकता है। एक तो यह हम लोगों ने उपाय किया है कि कमी है तो आर०पी०एफ० के लोग उनके साथ जाएंगे। जो बहुत ज्यादा क्राइम-प्रान एरिया है, वहां हम लोगों ने आर०पी०एफ० का डिपलायमेंट किया है और फिर हर प्रमुख रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने एक असिस्टेन्स बूथ बनाया है। आर०पी०एफ० असिस्टेन्स बूथ बनाया है। अगर कोई अपराध की घटना घटती है तो पहले उसकी एफ०आई०आर० दर्ज कराने के लिए, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लोगों को इधर-उधर भागना पड़ता था, अब असिस्टेन्स बूथ में आर०पी०एफ० के लोग उनकी रिपोर्ट ले लेंगे और वे दर्ज कराएंगे उसे थाने में। इस तरह का उपाय किया जा रहा है, लेकिन जो स्टेटस का राइट है, उसमें हम एनक्रोच नहीं कर सकते है। स्थिति संतोषजनक नहीं है, यह सबको सोचना होगा और यह बात ठीक है कि अगर कोई घटना अपराध की रेल में घटती है तो उससे छवि रेल की ही बिगड़ती है, लोग इस बात की चर्चा नहीं करते है कि इसकी पूरी जवाबदेही वहां की राज्य पुलिस की है या वहां के राज्य की गवर्नमेंट के रेलवे पुलिस ही है। मैं इस पूरी स्थिति को आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आज परिवर्तन की जरूरत है। इस पर सबको सोचकर इसमें परिवर्तन करना होगा। स्टेटस पैपर में मैंने इस बात का उल्लेख किया है। अगर बहस के बाद कोई नतीजा सामने आता है तो उस कन्सेन्स के आधार पर जो भी कानून में तब्दीली करने की बात आएगी, उस पर विचार किया जा सकता है और वह भी बहस के बाद और कन्सेन्स के आधार पर, सरकार सू-मोटो कुछ नहीं करना चाहती।

श्री एन०के०पी० साल्वे: तो शुरू कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : वह पेपर रख दिया है।

*47. *[The questioner (Shri Amar Singh) was absent for answer, vide Col. 33 infra.]*

Conversion of MG/NGs lines into broadgauge in Gujrat

*48. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the State Government of Gujarat has sent proposals for conversion of meter gauge/narrow gauge railway lines into broadgauge railway lines;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of such lines that have so far been converted;

(d) the number of MG/NGs under consideration of Government; and

(e) the expected time by when a decision will be taken?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) to (e) The details are as under:

	Proposal	Position regarding status of work, consideration of project.	Expected time for decision
1.	Gauge conversion of Rajkot-Veraval and its extension upto Kodinar/ Somnath	Work is in progress for Rajkot-Veraval portion. A survey for extension of line upto Kodinar /Somnath has been taken up.	Rajkot-Veraval- already decided. Veraval-Kodinar- Decision will be taken after receipt of the survey report.
2.	Gauge conversion of Surendernagar, Dhola-Dhasa-Mahuva with extension upto Pipavav	Work has been sanctioned. Preliminary arrangements for starting the work are on hand.	Decision already taken.